प्रेस नोट
कोतवाली नगर जनपद फतेहपुर

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर के कुशल पर्यवेक्षण में चोरी के मुकदमे का सफल अनावरण व गिरफ्तारी 03 नफर अभियुक्तगण व बरामदगी 49,800/- रुपये नगद व सफेद धातु की सिल्ली वजन करीब 300 ग्राम व एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व 02 अदद कारतूस जिस्ता 315 बोर सम्बन्धित मु0अ0सं0- 212/2022 धारा 457/380/411 भादवि व 01 नफर अभियुक्त शंकर पासवान वांछित सम्बन्धित मु0अ0सं0- 743/21 धारा 457/380 भादवि, मु0अ0सं0- 452/22 धारा 380/511 भादवि, मु0अ0सं0- 453/22 धारा 401 भादवि, मु0अ0सं0- 454/22 धारा 411/413/414 भादवि व कायमी मु0अ0सं0- 546/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के कुशल निर्देशन में दिनांक 31.07.2022 को मैं निरीक्षक सुनील कुमार सिंह मय उ0नि0 श्री अजीत कुमार सिंह मय हमराह कान्स0 राम कुमार एवं आरक्षी दीपक कुमार मय वाहन जीप सरकारी नं- UP71G0098 के पुलिस चौकी राधा नगर से बिनावर रात्रि गश्त तलाश वांछित/वारंटी व रोकथाम जुर्म जरायम रवाना होकर गस्त /चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन करते हुए गाजीपुर बस स्टप, देवीगंज, रेल बाजार, गंगानगर, ईसाइन पुरवा, भिखारीपुर, गड़ियन पुरवा भ्रमण करते हुए झाऊपुर पुलिया पर वांछित अभियुक्त शंकर पासवान S/O श्री राम की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई किंतु दस्तयाब नहीं हुआ तदोपरान्त प्रस्थान कर समय करीब 02.10 बजे अंदौली नहर पुलिया पहुंचा की क्षेत्र की कोबरा मोबाइल प्रथम को जरिए RT सेट तलब किया गया तो समय 02.30 बजे मुख्य आरक्षी सूर्यभान सिंह व कान्स0 धीरज कुमार उपस्थित मिले जिन्हें साथ लेकर अन्दौली पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग की जाने लगी कि तभी मुखबिर खास द्वारा उपस्थित आकर सूचना दिया कि वांछित अभियुक्त शंकर पासवान अपने दो अन्य साथी के साथ डूडा कलोनी अंतर्गत बाबूराम भट्टा को जाने वाले कच्चा मार्ग जहां बालू इत्यादि डंप करते हैं मौजूद है तथा अपराध करने की फिराक में यदि जल्दी करते हुए घेराबंदी करें तो पकड़े जा सकते हैं मुखबिर सूचना पर विश्वास कर उस के निर्देशन में कोबरा मोबाइल मुख्य आरक्षी सूर्यभान सिंह आरक्षी धीरज कुमार को सुंदर मति स्कूल गली की तरफ से जाकर घेराबंदी करने तथा मैं निरीक्षक में हमराह उ0नि0 अजीत सिंह कान्स0 दीपक कुमार का0 रामकुमार मैं मुखबिर वाहन जीप से अन्दौली रोड होकर बीबीपुर मोड की तरफ से घेराबंदी हेतु प्रस्थान कर तत्परता सतर्कता से दोनों तरफ से पहुंचे कि दोनों तरफ से बाहन आते देख तीनों व्यक्ति भागने का प्रयास किए कि मुखबिर को वाहन से उतरकर जाने हेतु बता कर एक बारगी दबिश देकर घेराबंदी करते हुए समय करीब 02.45 बजे तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया जिसमें से एक व्यक्ति शंकर पासवान पुत्र श्री राम पासवान निवासी झाऊ पुर पुलिया थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर तथा दूसरा व्यक्ति शुभम गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रामदत्त गुप्ता निवासी ग्राम कुसुंबी थाना असोथर जनपद फतेहपुर है तीसरे का नाम पता पूछा गया तो शंकर पासवान का साथी बताते हुए अपना नाम रहीस पुत्र स्व0 छेद्दू निवासी हाल मुकाम किराए का मकान बहुआ थाना ललौली जनपद फतेहपुर बताया जिनसे असमय सुनसान स्थान पर मौजूदगी एवं भागने का कारण पूछा गया तो शंकर पासवान गलती की माफी मांगने लगा हमराह मु0आ0 सूर्यभान सिंह से तीनों की बारी बारी जामा तलाशी ली गई तो शंकर पासवान की कमर पर बाई तरफ पहने लोवर की पेंट से खुसा एक अदद तमंचा 315 बोर व बांयी जेब से 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व दाहिनी जेब से 500 रुपये के 39 नोट 200 रुपये का एक नोट तथा 100 रुपये का एक नोट कुल रुपया 19800 तथा एक सफेद धातु की सिल्ली पीले रंग की प्लास्टिक में बरामद हुई शुभम गुप्ता जो चोरी के आरोप में करीब 1 सप्ताह पूर्व संदेह के आरोप में तलब किया गया था की जामा तलाशी पर पहने जींस पैंट की दाहिनी जेब से रुपया 500 के 30 नोट कुल रुपया 15000 मिला तथा रईस की जामा तलाशी पर पहने हाफ पैंट की दाहिनी जेब से 500 रुपये के 30 नोट कुल रुपया 15000 बरामद हुआ तथा बांयी जेब से एक कीपैड मोबाइल स्विच ऑफ दशा में मिला। कड़ाई से पूछताछ पर शंकर पासवान द्वारा बताया गया की साहब शुभम गुप्ता की हमारी पुरानी जान पहचान है यह पहले अन्दौली में ठेलिया लगाता था मुझे तारीख

नहीं याद है मार्च महीने में होली के बाद मुझे राधा नगर में मिला था दोपहर का समय था तथा बताया कि अन्दौली पुलिया के पास उसके चाचा का मकान है पूरा परिवार गांव गया है उसके घर चोरी कर लो तथा मुझे घर दिखा कर चला गया था उसके बाद उसी रात मैंने अमन ठाकुर तथा रहीस ने उस घर में चोरी की थी घर में हमें करीब 25000 रुपये तथा चांदी व सोने के कुछ जेवरात मिले थे जिसमें एक चेन दो अंगूठी सोने की एक जोड़ी झुमकी कमरधनी चांदी की ,बिछिया चांदी की मिली थी हम लोगों ने उस समय रुपए आपस में बांट लिए थे जो कि खर्च हो गए आपने हमारे साथ ही अमन ठाकुर तथा सलमान तथा मेरे भाई रिशु अमन के भाई रमन एवं कार्तिक को पकड़ लिया था तो मुझे इन लोगों के जमानत के लिए रुपयों की आवश्यकता थी मैं तथा रईस उनकी जमानत का प्रयास कर रहे थे कि शुभम गुप्ता जो कि चोरी के बाद से बाहर चला गया था तथा कुछ दिनों से पुलिस भी इस को परेशान कर रही थी तो हम लोगों को अन्दौली में मिल गया तथा हिस्सा मांगने लगा तो कुछ जेवरात जो अमन ठाकुर ने किसी को बेटा था तथा चांदी के जेवरात की सिल्ली बनवाकर बहुवा में रहीस के यहां रख दिया था वही जेवर बिक्री का रुपया तथा चांदी की सिल्ली लेकर आए थे तथा शुभम को उसका हिस्सा देने के लिए यहां बुलाया था की तब तक आप लोगों ने आकर मुझे पकड़ लिया साहब जेवरात अमन ने कब और किस को बेचा हमें मालूम नहीं है चांदी की सिल्ली हमने अमन के हिस्से के लिए रखी थी शुभम गुप्ता चोरी के समय साथ नहीं था लेकिन मकान हमें दिखाया था तथा बताया था की चाबी भी अंदर कमरे में ही मिलेगी साहब जिस समय हम अंदर घुसे थे बाहर पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनकर जल्दबाजी में निकल आए थे कुछ रुपए व जेवरात मौके पर छूट भी गए थे विगत में घटित अन्य चोरी की घटनाओं के बाबत पूछने पर बता रहा है कि साहब इसके अलावा हमने पिछले साल नवंबर महीने में बहुआ रोड पर शंकर कलोनी में साथी अमन ठाकुर एवं सलमान उर्फ सलीम उर्फ राजू के साथ मिलकर एक बंद मकान में चोरी की थी जिसमें करीब 50000/- नगद तथा थोड़े सोने चांदी के जेवरात मिले थे उसमें हमारे साथ कि किमिदिया पुर का शिवलाल रैदास भी था शिवलाल रैदास ने उस समय जेवरात औने पौने दाम पर बेचा था किंतु कहां किसको बेचा था मुझे नहीं मालूम है मुझे करीब 32000/ रुपया का हिस्सा मिला था जो मैंने मोटरसाइकिल की किस्त में जमा कर दिया था अमन ठाकुर के पकड़े जाने के बाद से मैं खुद ही इधर- उधर छिपकर रह रहा था। सभी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय फतेहपुर भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण व आपराधिक इतिहास-

1.	शंकर पासवान पुत्र श्री राम पासवान निवासी झाऊपुर पुलिया थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर उम्र करीब 20 वर्ष	मु0अ0सं0- 743/21 धारा 457/380 भादवि मु0अ0सं0- 212/2022 धारा 457/380/411 भादवि मु0अ0सं0- 452/22 धारा 380/511 भादवि मु0अ0सं0- 453/22 धारा 401 भादवि मु0अ0सं0- 454/22 धारा 411/413/414 भादवि मु0अ0सं0- 546/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
2.	रहीस पुत्र स्व0 छेद्दू निवासी हा0मु0 किराये का मकान बहुआ थाना ललौली जनपद फतेहपुर उम्र करीब 32 वर्ष	मु0अ0सं0- 212/2022 धारा 457/380/411 भादवि
3.	शुभम गुप्ता पुत्र स्व0 रामदत्त गुप्ता निवासी ग्राम कुशुम्भी थाना असोथर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 19 वर्ष	मु0अ0सं0- 212/2022 धारा 457/380/411 भादवि

बरामदगी का विवरण-

1. बरामदगी 49,800/- रूपये नगद व सफेद धातु की सिल्ली वजन करीब 300 ग्राम
2. एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व 02 अदद कारतूस जिस्ता 315 बोर

पुलिस टीम का विवरण	
1.	नि0 श्री सुनील कुमार सिंह
2.	उ0नि0 श्री अजीत सिंह
3.	हे0का0 सूर्यभान सिंह
4.	का0 रामकुमार
5.	का0 दीपक कुमार
6.	का0 धीरज कुमार

प्रभारी निरीक्षक
थाना कोतवाली
जनपद फतेहपुर